प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.09.2024

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.09.2024 को थाना मोदीनगर पर आवेदिका/पीड़िता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया कि अभियुक्त 1- भानू मलिक पुत्र अजमेर सिंह निवासी तिबडा रोड भूपेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद व 2- अभिषेक सांगवान निवासी अज्ञात द्वारा आवेदिका को किसी मकान में ले जाकर आवेदिका के साथ छेड़खानी करने व सम्बन्ध बनाने की कोशिश करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। जिस पर थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुंसगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 14.09.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त भानू मलिक उर्फ कुल्हड पुत्र अजमेर सिंह निवासी तिबडा रोड गली नम्बर 06 भूपेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 16.09.2024 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अन्य अभियुक्त अभिषेक सांगवान पुत्र अनिल उर्फ पप्पू निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को तिबडा बम्बा पटरी से घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार सहित गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त अभिषेक सांगवान पुत्र अनिल उर्फ पप्पू निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब मेरे दोस्त भानू उर्फ कुल्हड का दिनांक 12.09.2024 को जन्मदिन था। जन्मदिवस के मौके पर पीड़िता को पार्टी देने के बहाने हमने मुरादनगर बुलाया और मैं तथा भानू उर्फ कुल्हड सफेद रंग की स्विफ्ट कार से पीड़िता को अपने परिचित जितेन्द्र के मकान कृष्णा कुंज ले गये जहाँ पर हमने आवेश में आकर अपनी दोस्त/पीड़िता के साथ उक्त कार्य (छेड़खानी) कर दिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

अभिषेक सांगवान पुत्र अनिल उर्फ पप्पू निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद, उम्र 24 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा गाड़ी एल्ट्रोज की लूट में वांछित शातिर लुटेरा गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 24.06.2024 को थाना भोजपुर पर वादी श्री रवि कुमार शर्मा पुत्र श्री परमेशवर दयाल शर्मा निवासी म0न0 147/9 डबल स्टोरी गोविन्दपुरी मोदीनगर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद ने तहरीर दी कि अज्ञात

बदमाशो द्वारा वादी की कार Tata altroz गाड़ी न0 UP 14 EW 1990 को छीन कर ले गये है। इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमो का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इन्पुट व मुखबिर के माध्यम से दिनांक 07.07.2024 को उक्त घटना का सफल अनावरण कर 03 शातिर बदमाश 1. सुनील पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर कमि0 गा0बाद उम्र 33 वर्ष व 2. जितेन्द्र उर्फ शिवा पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर कमि0 गा0बाद उम्र 35 वर्ष 3. अनुज पुत्र गजेन्द्र निवासी अर्जुन नगर कस्बा चौकी के पास थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ को मय लूट की गाड़ी टाटा एल्ट्रोज न0 यू0पी0 14 ई डब्लू 1990 के साथ गिरफ्तार किया गया था जिनका एक साथी सुमित पुत्र राजेश निवासी ग्राम उस्मापुर थाना कोतवाली खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर वांछित चल रहा था।

आज दिनांक 16.09.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुमित पुत्र राजेश निवासी ग्राम उस्मापुर थाना कोतवाली खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर को दतैड़ी चौराहा थाना भोजपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गयी।

पुछताछ का विवरण -

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.06.2024 को मैने व मेरे साथियों जितेन्द्र उर्फ शिवा, सुनील तथा अनुज ने मिलकर अवलपुर बम्बे के पास से एक कार Tata altroz गाड़ी न0 UP 14 EW 1990 छीनी थी। उपरोक्त घटना में शामिल मेरे साथी जितेन्द्र, सुनील व अनुज को पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किय़ा जा चुका है। आज मुझे भी आपने पकड़ लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

सुमित पुत्र राजेश निवासी ग्राम उस्मापुर थाना कोतवाली खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर, उम्र 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व पीड़िता सकुशल बरामद।

दिनांक 12.09.2024 को वादिया द्वारा थाना मुरादनगर पर सूचना दी कि मेरी पुत्री उम्र 14 वर्ष को सत्यम पुत्र योगेन्द्र निवासी जलालपुर रोड नियर गोपाल डेरी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष, अपने साथ बहला फुसलाकर कर भगा ले गया है। उपरोक्त सूचना पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई। तत्पश्चात आज दिनांक 16.09.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा लड़की को सकुशल बरामद करते हुए उपरोक्त अभियोग में वांछित

अभियुक्त सत्यम पुत्र योगेन्द्र निवासी जलालपुर रोड नियर गोपाल डेरी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को मोदीनगर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि उक्त लड़की व मैं एक ही मौहल्ले के रहने वाले हैं। मेरी उक्त लड़की से पहले से ही बातचीत थी और हम दोनों दोस्त थे। दिनांक 12/09/2024 को दोपहर के 03 बजे के करीब उक्त लडकी अपने घर से नाराज होकर आ गयी थी तो इसको मै अपने साथ हरिद्वार ले गया था, पिछले दो तीन दिनों से हम लोग हरिद्वार घूम रहे थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

सत्यम पुत्र योगेन्द्र निवासी जलालपुर रोड नियर गोपाल डेरी थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.06.2024 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया गया कि अभियुक्त द्वारा मेरी पुत्री उम्र करीब 16.5 वर्ष को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.08.2024 को पीड़िता को बरामद कर उक्त मुकदमें में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवं धारा 161 सीआरपीसी कार्यवाही की गयी व धारा 164 सीआरपीसी के बयानों की कार्यवाही की जा चुकी है। धारा 164 सीआरपीसी के बयानों के आधार पर मुकदमे में धारा 363/366 भादवि का लोप व 376 भादवि व ¾ पोस्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

आज दिनांक 16.09.2024 को सीसीटीवी फुटेज व लोकल मैनुअल ईनपुट के आधार पर थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अनुराग उर्फ मनुज कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी - कूडाना शामली कुडाना उम्र करीब 24 वर्ष को लोनी पुस्ता से लोनी तिराहे की ओर जाते समय गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं फैक्टरी में काम करता हूँ। इस लड़की से मेरी जान पहचान हो गयी थी, मैं इस लड़की से बात करने लगा था। मैं एक दिन इस लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। मैंने इसको बहला-फुसलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

अनुराग उर्फ मनुज कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी - कूडाना शामली कुडाना, उम्र करीब 24 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.07.2022 को महेंद्र सिंह पुत्र खूबी सिंह तत्कालीन निवासी प्रहलाद गढ़ी थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद की माहेश्वरी आयुर्वेदिक कंपनी औद्योगिक क्षेत्र में डियूटी के दौरान जहरीले पदार्थ के सेवन से मृत्यु हो गयी थी जिसका तत्समय थाना लिंकरोड से पोस्टमार्टम कार्यवाही कर विसरा परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था मृतक महेन्द्र सिंह उपरोक्त की विसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृतक के भाई वादी मुकदमा ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री खूबी सिंह द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना लिंकरोड पर दिनांक 15.09.2024 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना में संलिप्त अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ धीरेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह नि0 ग्राम उमरसर थाना गढिया रंगीन जिला शाहजहाँपुर की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। घटना में संलिप्त अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ धीरेन्द्र उपरोक्त को दिनांक 16.09.2024 को भारद्वाज कट के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः</u>

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै महेंद्र सिंह पुत्र खूबी सिंह तत्कालीन निवासी प्रहलाद गढ़ी थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद के साथ माहेश्वरी आयुर्वेदिक कंपनी औद्योगिक क्षेत्र थाना लिंक रोड में वर्कर के रुप मे कार्यरत था। कम्पनी में काम करते हुये महेन्द्र ने कम्पनी में से मेरे नाम से 500 रूपये लिये थे जिसे मैने मांगा तो मुझे देने से मना कर दिया जिस कारण दिनांक 06.07. 2022 को मृतक महेंद्र सिंह को कंपनी में रहते हुए चूर्ण में कीटनाशक पदार्थ मिलाकर खिला दिया था जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी दौराने इलाज उसकी मृत्यु हो गयी थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

धर्मेन्द्र उर्फ धीरेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह नि0 ग्राम उमरसर थाना गढिया रंगीन जिला शाहजहाँपुर उम्र-20 वर्ष।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः</u>

थाना लिंकरोड पुलिस टीम